प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.05.2025

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 20.05.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री उपदेश पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि दिनांक 19.05.25 को समय करीब 21.10 बजे हमारे गांव के विक्रान्त उर्फ भूरा को उसके सगे भाई निशांत ने गोली मार दी है जिसे संजय नगर अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया था जहाँ पर डाक्टर द्वारा विक्रान्त उर्फ भूरा को मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

दिनांक 20.05.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त निशांत पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी गाजियाबाद को वेदपाल के भट्टे के पास ग्राम शेरपुर मोदीनगर रोड से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त निशांत उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा भाई विक्रांत आपराधिक किस्म का व्यक्ति था तथा शराब पीने व नशा करने का आदी था। अक्सर मेरी माँ व पत्नि के साथ लडाई झगडा कर मारपीट करता था तथा अपने शौक पूरे करने के लिये रुपयों की मांग करता था तथा मेरी पत्नि पर भी बुरी नीयत रखता था। कल रात भी मेरा भाई नशे में पिस्टल लेकर घर पर आया था। मैं अपने 03 साल के बेटे को लेकर गेट पर पहुंचा तो मेरे भाई विक्रांत ने मेरे बेटे पर तंज कसा कि तू किसी की नाजायज औलाद है जिस पर मुझे गुस्सा आ गया तथा हम दोनो में हाथापाई हो गयी। विक्रांत ने पिस्टल निकालकर मेरे उपर तान दी मैनें विक्रांत से पिस्टल छीनकर विक्रांत पर फायर कर दिये तथा लहूलुहान हालत में छोडकर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

निशांत पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर,
02 जिंदा कारतूस 32 बोर,

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, लूट से सम्बन्धित 1900/- रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

आज दिनांक 21.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र मे चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना भोजपुर क्षेत्र मे अमराला से पट्टी अंडरपास की तरफ लूट की घटना मे सम्मिलित 03 व्यक्ति मोटर साइकिल से जा रहे है। इस सूचना पर संघन चेकिंग की गई तो 03 व्यक्ति कच्चे रास्ते पर मोटर साइकिल के पास खड़े दिखाई दिये जिनकी रोका टोकी की गई तो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से कच्चे रास्ते की तफ़र भागने लगे व मोटर साइकिल अनियन्त्रित होकर नीचे गिर गई उपरोक्त तीनो व्यक्तियों द्वारा पुलिस द्वारा घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश को मौके से थोडी दूरी पर गिरफ्तार किया गया व एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम प्रिंस पुत्र जोगराज सिंह उर्फ दरोगा निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा तथा दूसरे बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र भोजपुर क्षेत्र मे कलैक्शन एजेन्ट के साथ अपने साथियो के साथ मिलकर ग्राम अमराला मे लूट की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. प्रिंस पुत्र जोगराज सिंह उर्फ दरोगा निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर उम्र 21 वर्ष।
2. रवि पुत्र राजकुमार निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व लूट से सम्बन्धित 1900 रूपये।
01 मोटरसाईकल लूट मे प्रयुक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूदध थाना भोजपुर पर एक लूट का मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त प्रिंस थाना भोजपुर पर एचएस है व अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम एवं स्वाट टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मुठभेड़ के दौरान ट्रोनिका सिटी एवं थाना टीला मोड से गौकशी में वांछित 50,000/- रुपये का ईनामी सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 20/21.05.2025 की रात्रि को थाना टीला मोड व स्वाट टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सी होम सोसायटी के सामने भोपुरा की ओर जाने वाली सड़क पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टीला मोड की तरफ से तेजी से आ रही मोटर साइकिल को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति ने मोटर साइकिल को कुटी के जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे। पुलिस पार्टी द्वारा रूकने को कहा और इनका पीछा किया तो तेजी व हड़बड़ी के कारण मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख एक बदमाश ने दूसरे से कहा कि पुलिस है चला गोली। इस पर दूसरे व्यक्ति ने तुरंत पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी संयमित फायर किये, जिससे दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े। घायल बदमाशो को हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम लुकमान कुरैशी पुत्र शरीफ निवासी मौ0 नाला कस्बा संभल थाना कोतवाली संभल जिला संभल हाल पता डिलाइट के पीछे दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम अरकम पुत्र इसरार निवासी मौ0 कुरैशियान खानजादा वाली गली हसनपुर थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष बताया। जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस तथा थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित चोरी की गई मोटर साइकिल बरामद हुई है।
बरामद मोटर साइकिल को अभि0गण द्वारा करीब 03 माह पहले DLF से चोरी करना बताया है। अभियुक्त लुकमान कुरैशी थाना ट्रोनिका सिटी से गौकशी की घटना में वांछित चल रहा था एवं माह दिसंबर 2024 में काका फार्म हाउस के पीछे थाना क्षेत्र टीला मोड में हुई गौकशी की घटना में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लोनी गा0बाद भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पताः-

1. लुकमान कुरैशी पुत्र शरीफ निवासी मौ0 नाला कस्बा संभल थाना कोतवाली संभल जिला संभल, हाल पता डिलाइट के पीछे दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष
2. अरकम पुत्र इसरार नि0 मौ0 कुरैशियान खानजादा वाली गली हसनपुर थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक अवैध तमंचा, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस
चोरी की एक मोटर साइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त लुकमान पर जनपद एटा/सम्भल/मुरादाबाद/गाजियाबाद में गौकशी के कुल 06, गैंगस्टर एक्ट का 01, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग कुल 08 अभियोग एवं अभियुक्त अरकम पर गुजरात/यूपी/दिल्ली चोरी/गौकशी कुल 22 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ व क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 20.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारी लिखित सूचना दी गई कि वादिया की पुत्री श्वेता की शादी वर्ष 2023 मे हर्ष पुत्र सतवीर निवासी सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से हुई थी, वादिया द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार शादी मे काफी दान दहेज दिया गया था, परन्तु श्वेता के पति व ससुराल पक्ष के लोग उक्त दान दहेज से खुश नही थे तथा दहेज के लिए वादिया की पुत्री को तंग व परेशान तथा मानसिक रुप से प्रताडित करना तथा वादिया की पुत्री को फांसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर देना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 80/85/351(2)/351(3) BNS व धारा 3/4 D.P. Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. हर्ष यादव पुत्र सतवीर सिंह निवासी गली नं0-3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. सतवीर यादव पुत्र स्व0 पोशीराम निवासी गली नं0 3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष 3. सीमा पत्नी सतवीर यादव निवासी गली नं0 3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका श्वेता की शादी वर्ष 2023 में हुई थी दहेज के लालच में हमने मृतका को मानसिक रुप से काफी प्रताडित किया था जिससे तंग आकर मृतका ने फांसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.हर्ष यादव पुत्र सतवीर सिंह निवासी गली नं0-3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. सतवीर यादव पुत्र स्व0 पोशीराम निवासी गली नं0 3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।

3. सीमा पत्नी सतवीर यादव निवासी गली नं0 3 ब्लॉक-सी सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा ज्वैलर्स की दुकान में पिस्टल की नोक पर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड/चेकिंग के दौरान 04 शातिर लुटेरे बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी 04 किलोग्राम चाँदी, 02 पिस्टल , 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस (तमंचे की नाल में फंसा हुआ), 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल (अपाचे) बरामद।

दिनांक 12.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि पूजा कॉलोनी सोम बाजार थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित मनीष ज्वैलर्स की दुकान से 03 नकाबपोश बदमाशों द्वारा दोपहर 03 बजे पिस्टल की नोंक पर चांदी धातु के आभूषण के 6 डिब्बे वजन करीब लगभग 4.5 किलो को लूटकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

आज दिनांक 21.05.2025 को प्रातः गेट न0 2 ट्रोनिका सिटी के सामने बैरियर लगाकर संघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उपरोक्त घटना की सीसीटीवी फुटैज में कैद मोटरसाइकिल सवार बदमाशो के बारे में मुखबिर ने बताया कि ज्वैलर्स की दुकान में लूट की घटना कारित करने वाले 03 बदमाश उसी अपाचे बाईक पर सवार है, जिनके पीछे पिट्ठू बैग टंगे हुये हैं, लूटे हुये माल को बेचने के लिए बागपत जा रहे हैं, इनके पास नाजायज अस्लाह भी है, यदि सतर्कता पूर्वक चैकिंग की जाये तो पकडे जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम को ब्रीफ करके सतर्कता पूर्वक बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय पश्चात पुस्ता लोनी की तरफ से काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट आती हुई दिखाई दी पुलिस द्वारा सन्देह होने पर रोकने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं रुके और कट मारकर तेजी से बागपत रोड की तरफ भागने लगे। मण्डोला की तरफ से आ रही पीसी-46 मोबाइल एवं थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया, बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से 02 बदमाश आमिर एवं रितेश के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये एवं गिरफ्तार किया गया तथा तीसरा बदमाश दीपक पाल को मौके से थोडी दूरी पर गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों 1- आमिर पुत्र बाबू खान निवासी मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2- रितेश पुत्र भारत निवासी मंगल बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा तीसरे बदमाश दीपक पाल को मौके से गिरफ्तार किया गया एवं उक्त घटना में अपराधिक षडयंत्र व रैकी व सहयोग करने में शामिल अभियुक्त सुनील पुत्र कालू राम उर्फ कल्लू को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त आकाश उर्फ बावला फरार है जिसकी तलाश जारी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त आमिर, दीपक पाल, व आकाश उर्फ बावला (वांछित) आपस में दोस्त हैं तथा एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस गैंग का मास्टरमाइण्ड आमिर है जो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है थाना ट्रोनिका सिटी का हिस्ट्रीशीटर भी है। दिनांक 12.05.2025 को आमिर, दीपक पाल, आकाश उर्फ पागल, रितेश व सुनील ने बन्थला फ्लाईओवर के नीचे बैठकर शराब पी और लूट की योजना बनायी थी। आमिर अपने परिचित की अपाचे मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट लेकर आया था और योजना में तय

हुआ था कि काली अपाचे पर आमिर, दीपक पाल, आकाश उर्फ पागल मुँह पर गमछा बांधकर अस्लाह सहित पूजा कॉलोनी सोम बाजार स्थित मनीष ज्वैलर्स की दुकान पर जायेगें व लूट की घटना को अंजाम देंगे इनके साथी रितेश अपनी मोटरसाइकिल पर सुनील को बैठाकर आगे-आगे चलकर रैकी करेंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें उपरोक्त अभियुक्त लगभग 4.5 किग्रा चांदी लूटकर फरार हो गये और बाद में आपस में बंटवारा किया गया। अभियुक्त आमिर के हिस्से में 1.5 किग्रा0 , अभियुक्त दीपक पाल के हिस्से में 01 किग्रा0, अभियुक्त रितेश के हिस्से में 01 किग्रा0 तथा अभियुक्त सुनील के हिस्से में 500 ग्राम चांदी आयी थी। आज चांदी को बेचने के लिए सुबह का सुरक्षित समय समझकर बागपत जा रहे थे कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.दीपक पाल पुत्र पप्पू पाल निवासी न्यू विकास रेलवे स्टेशन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद,उम्र करीब 31 वर्ष

2.आमिर पुत्र बाबू खान निवासी मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,उम्र करीब 27 वर्ष।

3.रितेश पुत्र भारत निवासी मंगल बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

4.सुनील पुत्र कालू राम उर्फ कल्लू निवासी पूजा कॉलोनी उस्मान प्रधान वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश शर्मा उर्फ बावला पुत्र अतेश निवासी न्यू विकास नगर निकट रेलवे स्टेशन,लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1-घटना में लूटी गयी 04 किलो चांदी।

2- घटना में प्रयुक्त 02 पिस्टल .32 बोर व 02 खोखा कारतूस .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर।

3.घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

4.घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1. अभियुक्त दीपक पाल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट, पुलिस मुठभेड, गैंगस्टर, के सम्बन्ध में 07 अभियोग तथा थाना लोनी बार्डर पर चोरी का सामान बरामद होने का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी का हिस्ट्रीशीटर है। (कुल अभियोग- 08)
2. अभियुक्त रितेश के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट, पुलिस मुठभेड, मारपीट के सम्बन्ध में 03 अभियोग, थाना खेकडा जनपद बागपत पर चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 05 अभियोग पंजीकृत हैं।(कुल अभियोग- 08)
3. अभियुक्त आमिर के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट, पुलिस मुठभेड, आर्म्स एक्ट, चोरी, लूट, बलात्कार के सम्बन्ध में 06 अभियोग व थाना लोनी बार्डर पर गैंगस्टर का 01 अभियोग , थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग, थाना लोनी बार्डर पर लूट का 01 अभियोग ,थाना खेकडा जनपद बागपत पर आर्मस एक्ट का 01 अभियोग, करावल नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी का हिस्ट्रीशीटर है।(कुल अभियोग- 11)
4. अभियुक्त सुनील के विरूद्ध लूट के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अभियोग के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी व स्वाट टीम ग्रामीण जोन।

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 61,148/- रु0 की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 21.05.2025 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आवेदक श्री गुलशन कुमार मिगलानी पुत्र श्री भगवान दास नि0 न्यू पंचवटी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि में से 61,148/ रू0 वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्व की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 को श्री गुलशन कुमार मिगलानी पुत्र श्री भगवान दास नि0 न्यू पंचवटी गाजियाबाद का फोन हैक कर आवेदक के क्रेडिट कार्ड से 83,701/-रू0 की शॉपिंग कर साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के क्रेडिट कार्ड से हुये ऑर्डर को कैंसिल कराकर 61,148 रु0 आवेदक के क्रेडिट कार्ड मे रिफन्ड कराये गये। आवेदक द्वारा पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर